निदेशालय
महानिदेशक, गृह रक्षा, राज., जयपुर।

जलेब चौक,जयपुर।
फोन :– 0141–2612591, 0141–2603407, ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in
Website : http://home.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–प.37(   )विविध / एचजी / पीएसएएल / 2017 / 3236   दिनाक : 05.02.2018

परिपत्र

इस विभाग को प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सी अभिकरण(विनियमन) अधिनियम, 2005 एवं राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सी अभिकरण(विनियमन) नियम, 2006 के तहत प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सी का लाइसेन्स जारी करने हेतु अधिकृत किया हुआ है। उपरोक्त एक्ट के प्रावधानो के अन्तर्गत विभिन्न प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सीयाँ समय–समय पर लाइसेन्स हेतु आवेदन करती है। इस विभाग द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया को अपना कर इन प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सीयों को लाइसेन्स जारी किया जाता है। प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न सिक्योरिटी एजेन्सीयों द्वारा अपनी एजेन्सी के लाईसेन्स / नवीनीकरण हेतु आवेदन किये जाते है, जो अपूर्ण होते है जिससे इस विभाग द्वारा लाइसेन्स जारी करने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा एक चैक लिस्ट भी जारी कि हुई है, जो प्रत्येक आवेदनकर्ता को आवेदन करते समय उपलब्ध करवाई जाती है। परन्तु आवेदनकर्ता द्वारा प्रायः इस चैक लिस्ट का अवलोकन नही किया जाता है या इस चैक लिस्ट के प्रावधानो की उपेक्षा कर आवेदन किया जाता है। अतः समस्त आवेदनकर्ता प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी के नवीन लाइसेन्स हेतु / लाइसेन्स नवीनीकरण करवाने वाले आवेदनकर्ताओ से अपेक्षा की जाती है कि वह निम्न बिन्दूओं पर विशेषतः ध्यान देकर अपना आवेदन इस विभाग में प्रस्तुत करे।

(1) आवेदनकर्ता को नवीन लाईसेन्स हेतु आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से डिमाण्ड ड्राफ्ट निम्नानुसार सलंग्न करना चाहिए :– लाईसेन्स फीस का ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक नियंत्रण प्राधिकारी **महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर (Director General, Home Guard, Rajasthan, Jaipur)** के नाम से निम्न राशि का देवे :– (i) एक जिले हेतु 5,000/– (ii) पांच जिलों हेतु 10,000/– (iii) सम्पूर्ण राज्य हेतु 25,000/–

(2) आवेदनकर्ता को कार्यालय से चैक लिस्ट प्राप्त कर तदनानुसार प्रत्येक बिन्दू की पालना करते हुए आवेदन करना चाहिए , जिससे लाईसेन्स प्राप्त करने की प्रक्रिया में समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो सके, व आवेदनकर्ता को अनावश्यक विलम्ब का सामना न करना पडे।

(3) प्रत्येक आवेदनकर्ता एवं सिक्योरिटी एजेन्सी में कार्य करने वाले सुपरवाईजर, मैनेजर, गार्डस इत्यादी को किसी मान्यता प्राप्त प्राईवेट सिक्योरिटी ट्रेनिंग एजेन्सी से ट्रेनिंग प्राप्त कर उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आवेदन के साथ सलंग्न करना चाहिए जोकि उन्हे कालान्तर में किसी गैरकानूनी गतिविधि के तहत कार्य करने की अनावश्यक स्थिति से बचाव में सहायक होगी।

(4) प्रत्येक सिक्योरिटी एजेन्सी (सेवा प्रदाता) के साथ सिक्यिूटी सेवा प्रयोगकर्ता दोनो से ये अपेक्षा की जाती है कि वह समय–समय पर किसी दक्ष एवं निपुण एजेन्सी से सिक्योरिटी ऑडिट (अंकेक्षण) आवश्यक रूप से करवाते रहे जिससे उन्हे कालान्तर में अनावश्यक परेशानियों से बचाव हो सके जैसे दिल्ली व अन्य स्थानों पर स्कूलों में घटित हिसंक घटनाऐं एवं जयपुर में मुथूट फाईनेंश लि0 कम्पनी आदि में घटित वारदातों की पुनरावृति न हो एवं व्यवस्था चाक चौबन्द रहें।

कृपया ध्यान देवें:– इस संबंध में कार्यालय के लाईसेन्स शाख को उपयुक्त सहयोग हेतु निर्देशित किया गया है।
सम्पर्क हेतु दूरभाष नम्बर :– 9799400300, 8209861886, 9829333777

आज्ञा से

ह0 / –
महानिदेशक पुलिस
(नियंत्रक प्राधिकारी)
प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी सैल,
निदशालय,गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।